अपील सूचना अधिकार संख्या 82/2021(GCMS 2021/126) (आरटीआई नं. 212118140419832) श्री कमल मारवाल, वार्ड नं. 8, 3 एसटीआर, नजदीक गुरूद्वारा, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व), घड़साना जिला श्रीगंगानगर

12.04.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कमल मारवाल स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2021 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कमल मारवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. कार्यालय एलआरसी राजस्व तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर में कोरोना आपदा काल लोकडाउन समयावधि में दर्ज हुए कृषि भूमि के उन इंतकालों (कृषि भूमि नामांतकरण) की पूर्णतः प्रमाणित रूप से जानकारी उपलब्ध करावें जिनमें संबंधित पटवार हल्का का अधिभार (चार्ज) अतिरिक्त चार्ज में था अर्थात अतिरिक्त चार्ज के चलते दर्ज हुए कृषि भूमि के इंतकालों (कृषि भूमि नामांतकरण) की प्रमाणित सूचनाएं वांछित हैं जो उपलब्ध करायें।
2. राजस्व तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के अधीन वे पटवार हल्का जिनका अधिभार (चार्ज), अतिरिक्त चार्ज में था, उनकी प्रमाणित सूचनाएं उपलब्ध करवायें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. लोकडाउन समायावधि में दर्ज हुए कृषि भूमि नामांतरकरण के संदर्भ में उस आदेश/सरकुर्लर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें जिनमें अतिरिक्त चार्ज में सम्मिलित पटवार हल्का में कृषि भूमि नामांतरकरण करने हेतु आदेशित किया गया है।
4. उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के क्रम में एलआरसी कार्यालय घडसाना अंतर्गत राजस्व तहसील घडसाना में पदस्थापित एलआरसी प्रभारी का नाम, पदनाथ, उपलब्ध करवाने के साथ—साथ संबंधित अतिरिक्त पटवार हल्कों में नियुक्त गिरदावर (भू अभिलेख निरीक्षक) के नाम, पदनाम की प्रमाणित सूचनाएं भी उपलब्ध करवायें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(राजस्व), घडसाना ने अपने पत्रांक विवि/सू.का.अ./2021/904 दिनांक 03.09.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	कार्यालय एलआरसी राजस्व तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर में कोरोना आपदा काल लोकडाउन समयावधि में दर्ज हुए कृषि भूमि के उन इंतकालों (कृषि भूमि नामांतकरण) की पूर्णतः प्रमाणित रूप से जानकारी उपलब्ध करावें जिनमें संबंधित हल्का का अधिभार राजस्व अतिरिक्त [illegible] अतिरिक्त चार्ज के चलते दर्ज हुए कृषि भूमि के इंतकालों (कृषि भूमि नामांतकरण) की प्रमाणित सूचनाएं वांछित रूप से उपलब्ध करावें।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) अनुसार किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। आप द्वारा चाही गई सूचना,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अनुसार अत्यंत विस्तृत है। जो कि लोकप्राधिकारी के अनुपात में नहीं है। एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली है। अतः आपको सूचना नहीं दी जा सकती।
2	राजस्व तहसील घडसाला जिला श्रीगंगानगर के अधीन वे पटवार हल्का जिनका अधिभार (चार्ज), अतिरिक्त चार्ज में था, उनकी प्रमाणित सूचनाएं उपलब्ध करवायें।	सूचना संलग्न हे।
3	लोकडाउन समायावधि में दर्ज हुए कृषि भूमि नामांतरकरण के संदर्भ में उस आदेश/सरकुर्लर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें जिनमें अतिरक्त चार्ज में सम्मिलित पटवार हल्का में कृषि भूमि नामांतरकरण करने हेतु आदेशित किया गया है।	सूचना संलग्न हे।
4	उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के क्रम में एलआरसी कार्यालय घडसाना अंतर्गत राजस्व तहसील घडसाना में पदस्थापित एलआरसी प्रभारी का नाम, पदनाथ, उपलब्ध करवाने के साथ–साथ संबंधित अतिरिक्त पटवार हल्कों [illegible] (भू अभिलेख निरीक्षक) के [illegible], पदनाम की प्रमाणित सूचनाएं [illegible] उपलब्ध करवायें।	एलआरसी प्रभारी श्री राहुल,नायब तहसीलदार, घड़साना है एवं शेष सूचना की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीदार (राजस्व), घडसाना ने उक्तानुसार अपील को जवाब प्रेषित किया है और अपने पत्रांक 702 दिनांक 28.07.2021 से अपीलार्थी को भी सूचित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घडसाना द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(घड़साना)** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की [illegible]नार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर